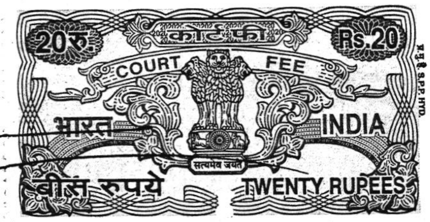

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण निगरानी 189-III-15

प्रेमनारायण पुत्र छीतरियालाल शर्मा
निवासी विवेकानंद कालोनी, शिवपुरी
तह. व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदक

दिनांक 22.1.15 को श्री मुकेश भार्गव अधि. द्वारा प्रस्तुत।
22.1.15
90

विरूद्ध

1. हुकमा पुत्र स्व. बंशी जाटव
2. बावरिया पुत्र स्व. बंशी जाटव
3. गिन्नी बाई पुत्री स्व. बारेलाल जाटव
4. रामकली पुत्री स्व. बारेलाल जाटव
5. लालाराम पुत्र स्व. बारेलाल जाटव

   समस्त निवासीगण बडापुरा पुरानी शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.)
6. उत्तम सिंह पुत्र बादाम सिंह रावत निवासी ग्राम सिंह निवास तह. व जिला शिवपुरी
7. अधीक्षक भू. प्रबंधन भू. अभिलेख शिवपुरी
8. अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी

..... अनावेदकगण

W3
मुकेश भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्र.कं. 14/10–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 9.1.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 169—तीन/15 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—07—15	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 9—1—15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक अधिवक्ता को तर्क प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर तर्क प्रस्तुत करने की दशा में प्रकरण गुणदोष पर निराकरण किये जाने संबंधी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता व अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	